

**ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016
भाग—एक**

- 1 प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

(i) प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री अमर लाल	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिव:—

1	Sh. Nawang Ringen	1.4.13 से 31.3.16
---	-------------------	-------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वहियों का रख रखाव नियम-7 के अनुसार न करना	—
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.74
3	8	अनुदानों का उपयोग न करना	30.43
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	9.77

भाग—दो

- 2 वर्तमान अंकेक्षण:—**

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 24.10.16 से 27.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 7/14, व 8/15 तथा 10/13, 9/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD (211)/2016-192, दिनांक 26.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की बैंक पास बुक के अनुसार स्वस्त्रोत व अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	904251.88	2076685	36301	3017237.88	2342041	675196.88
2014-15	675196.88	5388104	27395	6090695.88	5358782	731913.88
2015-16	73191.88	8104276	38487	8874676.88	5278585	3596091.88

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विस्तृत विवरण संकलित **परिशिष्ट-2** में दिया गया है तथा रोकड़ बहियों के अनुसार स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3 (क) से 3 (घ) पार्ट I व II** में दिया गया है।

4.1 रोकड़ बही का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़

बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में अंकेक्षण अवधि में अथशेष/अन्तिम शेष राशियों की गणना नहीं की गई थी जोकि उक्त नियम के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रोकड़ बही के दिनांक 31.3.16 के अन्तशेष को दिनांक 31.3.16 के बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:—

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विरुद्ध हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Date	Cash in Hand
1	25.4.13	3830
2	1.5.13	3052
3	2.5.13	5340
4	3.5.13	13710
5	6.5.13 से 8.5.13	15160
6	28.7.13 से 21.8.13	1500
7	23.9.13 से 27.9.13	7700
8	26.10.13 से 5.11.13	9337
9	3.11.14 से 2.12.14	2576

6 बजट प्राकलन तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.74 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹73735/- की वसूली शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट-4)

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013-14	42685	16940	59625	31770	27855
2014-15	27855	16940	44795	—	44795
2015-16	44795	16940	61735	—	61735

(ii) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013-14	10000	2000	12000	4000	8000
2014-15	8000	2000	10000	—	10000
2015-16	10000	2000	12000	—	12000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करना:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ की गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः माँग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने का कारण स्पष्ट करते हुए रजिस्टर को प्रति परिवार की बकाया राशि को 31.3.16 तक दर्ज करके पूर्ण किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 मोबाईल टावर शुल्क माँग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करना:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ द्वारा मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क, माँग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जबकि पंचायत में वर्ष 2005-06 से Airtel का टावर स्थापित था। अतः मोबाईल टावर शुल्क माँग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹30.43 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-5) के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹3042815/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ता है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की शेष राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9 निर्माण कार्य के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए या व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

Sr. No.	Grant	Cash Book Page No./Month	Name of Work	Expenditure ₹	Sanctioned Amount ₹
1	IWMP-V	2/10/13	C/O main Khul kishori Tushu & Retaining wall and Filter Tank at Kishori	300000	300000
2	Hariyali	55/9/14	C/O Snow Harvesting Check wall at Shenur	604200	604200
3	do	-do-	C/O Snow Harvesting check wall at Dah Nalla	302100	302100
4	Naclus	17/10/15	C/o create wall Bihadi Khul heed	48500	50000
5	Hariyali	62/10/15	C/O C.C. irrigation Channel, Vill. Chuling	123900	123900

6	MPLAD	007/10/15	C/O Govt. Primary School Building at Kishori	75000	250000
7	IWMP-III	22/10/15	R/O Nautor Kuhl Satdhara Nalla to Triloknath	250000	250000

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.77 लाख का स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹977338/— के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों/रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No. Name of Register

1	T.A. check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque issue/Receipt Register
4	Work Register
5	Temporary Advance Register
6	Stationery Register-Form 28
7	stock Register of Consumable articles form 26

12 क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक क्रय सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण आपत्तिजनक है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 Sprinkle irrigation system के वितरण की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत की IWMP-III की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पृष्ठ संख्या 22 माह 10/2015 में पंचायत द्वारा M/S H.P. Agro industries corporation LTD से बिल संख्या 029123, दिनांक 6.8.15 द्वारा 48 नं० Sprinkle irrigation system की खरीद ₹1700224 में करके पात्र ग्रामीणों के खातों में स्थापित करवाए गए परन्तु जिन्हें पात्र ग्रामीणों में Sprinkle system वितरित किए गए उनकी वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः पात्र ग्रामीणों से वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके व सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्ट्रों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(8) 8/2016—खण्ड—1—1673—1676 दिनांक : 21.03.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पति स्थित केलांग, जिला लाहौल—स्पति, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पति, हि0प्र0

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.